“पेसा पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन”

दिनांक 18 नवम्बर, 2021

महाराष्ट्र राज्य

1. पेसा अधिनियम, 1996

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान 24 दिसंबर, 1996 को लागू हुए।
- महाराष्ट्र सरकार ने 4 मार्च, 2014 को पेसा नियम बनाए हैं।
- महाराष्ट्र में, अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों (पुणे, ठाणे, पालघर, अहमदनगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर और गढ़चिरौली), 59 ब्लॉकों और 2895 ग्राम पंचायतों में 6304 पेसा गांव शामिल हैं।

1. जारी....

क्र.सं.	जिले का नाम	पेसा ब्लॉक			पेसा जीपी की संख्या			पेसा गांवों की कुल संख्या		
		पूर्णत: कवर	आंशिक रूप से कवर	कुल ब्लॉक	पूर्णत:	अंशतः	कुल	पूर्णत:	अंशतः	कुल
1	पुणे	0	2	2	75	8	83	128	0	128
2	ठाणे	1	2	3	193	11	204	932	0	932
3	पालघर	6	2	8	410	1	411	748	0	748
4	नासिक	3	6	9	220	354	574	485	484	969
5	अहमदनगर	0	1	1	77	2	79	2	92	94
6	जळगाव	0	3	3	28	4	32	58	0	58
7	धुले	0	2	2	0	130	130	0	187	187
8	नंदुरबार	4	2	6	516	2	518	869	0	869
9	नांदेड़	0	2	2	124	0	124	168	0	168
10	अमरावती	2	0	2	114	0	114	301	0	301
11	यवतमाळ	0	6	6	145	19	164	332	0	332
12	चंद्रपुर	0	3	3	36	58	94	191	0	191
13	गढ़चिरौली	7	5	12	311	52	363	1327	0	1327
योग		**23**	**36**	**59**	**2249**	**641**	**2895**	**5541**	**763**	**6304**

महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्र का नक्शा

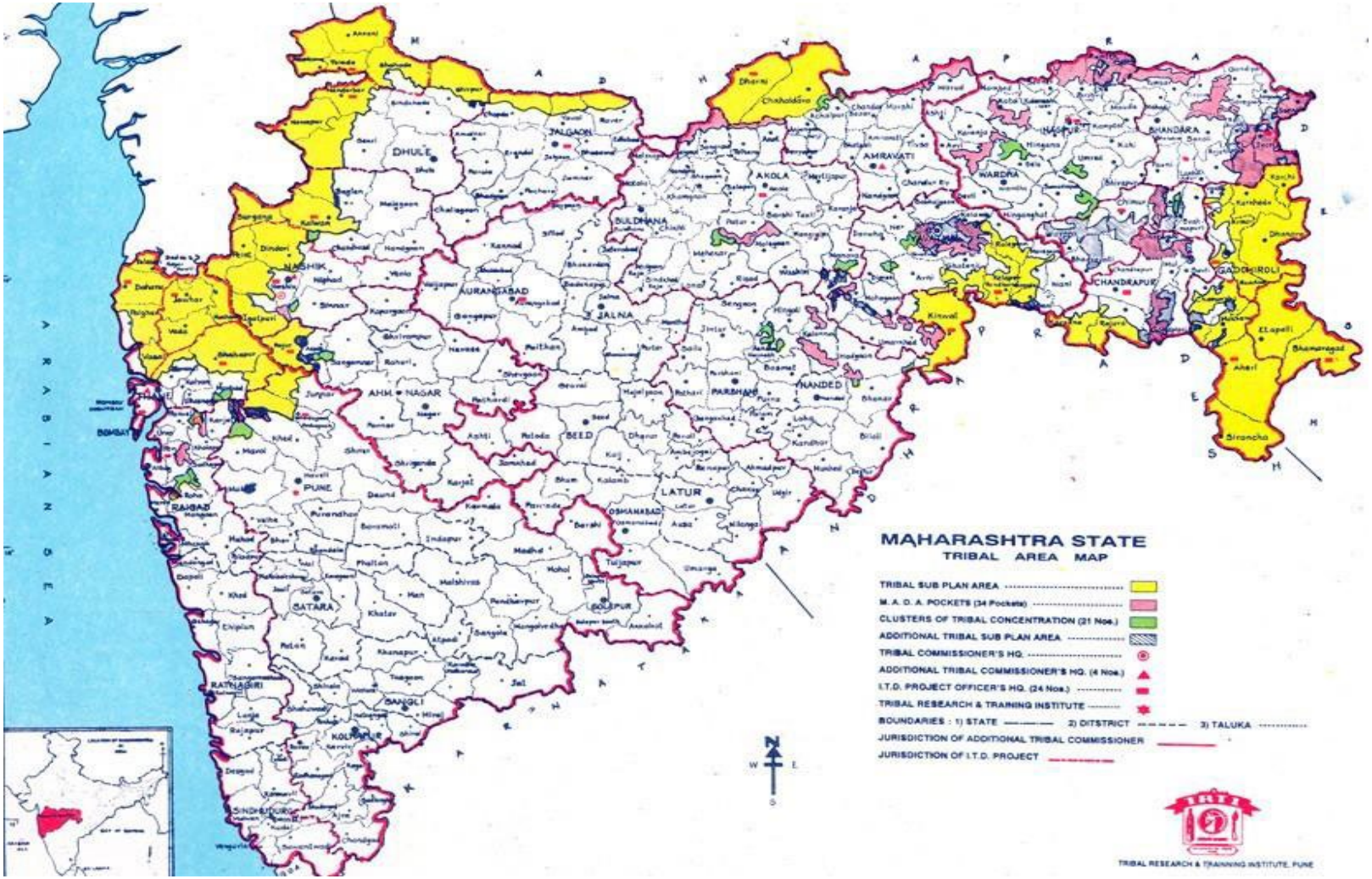

2. पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

1) **अनुसूचित क्षेत्रों और पेसा अधिनियम से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में संशोधन:** महाराष्ट्र सरकार ने पेसा अधिनियम से संबंधित विभिन्न कानूनों में संशोधन किए हैं, जैसे महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, राजस्व अधिनियम, धन उधार निवारण अधिनियम, वन अधिनियम आदि।

2) **माननीय राज्यपाल द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाएं:**
महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल ने पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन को गति देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों और पेसा अधिनियम के तहत भर्तियों, आरक्षण आदि के संबंध में विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की हैं।

2. पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

3) पेसा नियम 2014:

महाराष्ट्र सरकार ने 4 मार्च, 2014 को पेसा नियम बनाए हैं।

4) पेसा 5% असहबद्ध निधि योजना:

महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल ने दिनांक 30 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा 5 प्रतिशत असहबद्ध निधि योजना की घोषणा की है। पेसा ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति योजना के कुल परिव्यय की 5% राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र "पेसा 5% बंद निधि योजना" को लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य है।

2. पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

5) राज्य पेसा सेल की स्थापना:

- पेसा अधिनियम को लागू करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने जनजातीय विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक राज्य पेसा सेल की स्थापना की है।
- इस प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रैंक के एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। राज्य पेसा प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है जिसमें राज्य पेसा समन्वयक और दो अन्य सहित कुल चार पद हैं।

2. पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

6) **विभिन्न क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों (सीबी एंड टी) का कार्यान्वयन:** महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अन्य स्टेक होल्डरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2014-15 से, विभिन्न घटकों के लिए बड़ी संख्या में क्षमता निर्माण गतिविधियों को लागू किया गया है। साथ ही, ग्राम सभाओं को सुदृढ़ करने के लिए ग्राम सभा लामबंदी नामक एक पहल लागू की गई है।

2. पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

7) पेसा गांवों के लिए स्वतंत्र ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी):

केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 से ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत, प्रत्येक ग्राम पंचायत की वार्षिक और पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों के साथ-साथ प्रत्येक पेसा गांव के लिए एक अलग वार्षिक और पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है। पेसा गांव की ग्राम सभाओं को योजनाएं तैयार करने का पूरा अधिकार है। चूंकि प्रत्येक पेसा गांव के लिए अलग-अलग योजना तैयार की जाती है, इसलिए पेसा गांव की जरूरतों के आधार पर गतिविधियों को लागू किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित क्षेत्र में पेसा गांवों के विकास को गति मिल रही है।

3. उपलब्धियां

1) **नए पेसा गांवों का गठन:**

पेसा नियम 2014, नए पेसा गांवों के गठन के लिए प्राधिकरण प्रदान करता है। अब तक अनुसूचित क्षेत्रों में लगभग 3000 नए पेसा गांवों का गठन किया गया है।

3. उपलब्धियां

2) पेसा 5% असहबद्ध निधि योजना के परिणाम:

वर्ष 2015 से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और पेसा गांवों को 1320 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। पेसा 5% असहबद्ध निधि के लिए प्रत्येक पेसा गांव के लिए एक अलग "ग्राम सभा कोष" स्थापित किया गया है। "पेसा 5% बंद निधि योजना" ने ग्राम सभाओं के लिए एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। पेसा गांव स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से विकास योजनाएं तैयार करते हैं। लघु वन उत्पादों के उचित प्रबंधन से आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, कुछ गांवों में परंपराओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित करने के लिए असहबद्ध धन का उचित रूप से उपकुल किया जाता है।

3. उपलब्धियां

3) लघु वन उपज (एमएफपी) की नीलामी से रॉयल्टी:

महाराष्ट्र राज्य में, प्रत्येक पेसा गांव के लिए ग्राम सभा द्वारा एक "प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन समिति" और "ग्राम सभा कोष" का गठन किया जाता है। माननीय राज्यपाल ने लघु वन उपज (एमएफपी) एकत्र करने और बेचने के अधिकार के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। तेंदू पत्ता, बांस, औषधीय पौधे, मोहा फूल आदि अनुसूचित क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। पूर्व में वन विभाग द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी) की बिक्री की जाती थी। इस प्रक्रिया में, केवल बड़े व्यापारी लाभार्थी थे। तथापि, लघु वनोपज (एमएफपी) की बिक्री और निपटान का अधिकार सीधे पेसा गांवों को दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पेसा के कुछ गांव रायल्टी की राशि के कारण आत्मनिर्भर हो गए हैं।

4. आगामी योजना

अनुसूचित क्षेत्रों और पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य का अगले एक वर्ष का लक्ष्य:

1) **महाराष्ट्र राज्य पेसा सेल का सुदृढ़ीकरण:-**

पेसा अधिनियम का कार्यक्षेत्र व्यापक प्रकृति का है और इसके कार्यान्वयन के लिए कोई उचित तंत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिए, राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के दायरे को ध्यान में रखते हुए, पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य पेसा सेल को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

4. आगामी योजना

2) अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-जनजातियों के विकास के लिए असहबद्ध निधियों का प्रावधान प्रस्तावित है:-

राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए पेसा ग्राम पंचायतों को जनजातीय आबादी के अनुपात में 5% जनजातीय घटक योजना देने की योजना वर्ष 2015-16 से शुरू की गई है। यह निधि अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय आबादी के अनुपात में दी जाती है। तथापि, अनुसूचित क्षेत्रों के कई गांवों में गैर-जनजातीय समुदायों की बड़ी आबादी होने के कारण अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अनुपात में गैर-जनजातीय जनसंख्या के लिए बजटीय प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

4. आगामी योजना

3) पेसा नियमों और निर्णयों को पेसा अधिनियम के साथ अधिक सुसंगत बनाना:-

पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इस शक्ति का अपनी पूरी क्षमता से उपकुल करने और इसे पंचायतों और ग्राम सभाओं की एक स्व-सरकारी संस्था के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

4. आगामी योजना

4) अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न सूचनाओं का डाटा-बेस तैयार करना:-

वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्रों से ग्राम पंचायतों, गांवों, वाडी, बस्तियों, पाडों, आबादी और सूचना के अन्य बुनियादी रूपों को समग्र रूप में उपलब्ध नहीं किया गया है। इसलिए, इस जानकारी को एकत्र करके और इसे पेसा के विषय पर एक अलग वेब पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित करके।

4. आगामी योजना

5) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां:-

पेसा अधिनियम को और अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए जनजातीय लोगों की स्थानीय भाषा में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा।

5. पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले अपेक्षित उपाय-

(राज्य की अनुशंसाएं)

- अनुसूचित क्षेत्र के सतत विकास और पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वह **"पेसा के लिए राष्ट्रीय स्तर की व्यापक योजना"** कार्यान्वित करना।
- अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर अनबाउंड फंड का प्रावधान योजना के रूप में किए जाने की आवश्यकता है।
- इसमें बुनियादी अवसंरचना का विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकलाप, आईईसी कार्यकलाप, पेसा स्कीमों/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए समपत तंत्र की स्थापना, निगरानी, मूल्यांकन आदि शामिल हैं।
- पेसा के लिए एक स्वतंत्र निदेशालय की आवश्यकता है। इसके लिए जनशक्ति और समर्पित मशीनरी की आवश्यकता होती है।

5. पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले अपेक्षित उपाय-

(राज्य की अनुशंसाएं)

- जनजातीय लोगों की **स्थायी आजीविका** पर जोर देने की आवश्यकता है।
- आदिवासी परंपराओं, रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों, आदिवासी संस्कृति, भाषा आदि के संरक्षण और संवर्धन के लिए गतिविधियों को शामिल करना भी आवश्यक है।
- 1985 में अनुसूचित क्षेत्र घोषित। लेकिन 35 वर्षों के बाद अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या में कुछ परिवर्तन हुए हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार की आवश्यकता है।
- पेसा के अनुसार, पंचायती राज विभाग और अन्य सरकारी विभागों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

धन्यवाद
महाराष्ट्र सरकार